

verge of closure. So I wish to draw the attention of the Government to this aspect. The matter reads like this:

Early last year the Government of India by Notification imposed heavy increases in the export duties on several plantation crops like cardamom, coffee and tea. This was done to secure for the exchequer some share of the boom in the prices that these commodities were enjoying in the foreign markets and also to benefit the internal consumers by exercising a check on the local market. It was in appreciation of this that the duty on coffee was substantially reduced. But not such cut has been effected in regard to tea. The price of tea, both within the country and outside, has come down steeply. Already it has begun affecting the day to day work of the tea estates.

The industry employs over one million workmen and any economic hardship on the plantation will have its immediate adverse effect on the employment position. I would therefore appeal to the Minister of Commerce and Industry to examine this question afresh and evolve a satisfactory solution.

(ii) REPORTED DAMAGE TO STANDING CROPS DUE TO NON-SPRAYING BY AGRO-AVIATION DEPARTMENT.

श्री शिवनारायण सरसुनिया (करोलबाग) : सनापति महोदय, मैं नियम, 377 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण विषय पर कृषि मंत्री जी का बक्तव्य चाहता हूँ।

भारत सरकार के एगो ऐ.बि.एम डिपार्ट-मेंट के पास 45 एरियल स्प्रे प्लेज हैं। मब जगह बारिस के कारण कीड़े और टिड्डिया नारी फसलों को नष्ट कर रही हैं लेकिन ये एरियल स्प्रे प्लेज काम में नहीं लाये जाते। ये सारे के सारे बेकार पड़े हैं। इन प्लेज के बेकार पड़े रहने से पांच करोड़ रुपये की लागत

का उपयोग नहीं हो रहा है। एक भी प्लेन अगर स्प्रे करता है तो उससे हमारी 30 लाख रुपये की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। हमारे पास 45 हवाई जहाज हैं। उनके स्प्रे करने से 14 करोड़ रुपये की फसल की कमी का नुकसान होता है। यह सारी की सारी फसल नष्ट हो जाती है। इस समय जब कि टिड्डियां घा रही हैं और हमारी स्टेट्स उनका मुकाबला नहीं कर पा रही हैं तो एरियल स्प्रे के लिए वे बिदेसों को आर्डर देती हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि वे इन सारे के सारे प्लेज जो काम में नहीं लाये जा रहे हैं, उनके बारे में जांच करने के लिए पार्लियामेंट की एक कमेटी बिठाये।

(iii) REPORTED PITIABLE FLIGHT OF LABOURERS WORKING IN FOOD CORPORATION OF INDIA.

श्री राम बिलास पासवान (हाजीपुर) मैं आपका ध्यान भारतीय खाद्य निगम एफ.सी.आई.के मजदूरों की दयनीय अवस्था की ओर खीचना चाहता हूँ। भारतीय खाद्य निगम में सत्तर हजार प्रफरर एंड स्टाक स्थायी हैं जबकि मजदूर सिर्फ दस हजार स्थायी हैं और करीब बीस हजार अस्थायी जिन्हे ठेकेदारों की क्रूरता का शिकार होना पड़ रहा है। इन मजदूरों का काम बजन करना, माल बढ़ाना माल उतारना तथा माल डौना आदि है। खाद्य निगम के द्वारा ठेकेदार को जितना पैसा मजदूरों के नाम पर दिया जाता है उसका एक चौथाई भाग भी मजदूरों को नहीं दिया जाता खाद्य निगम के मजदूर वित्त 9 महीने से शांतिपूर्ण आन्दोलन पर हैं। उन लोगों को एक ही मांग है कि निगम द्वारा जितना पैसा ठेकेदारों को मजदूरों के नाम पर मिलता है वह सीधी मजदूरों को दिया जाए। इस सम्बन्ध में 14 अगस्त को कृषि राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह ने तारांकित प्रश्न संख्या 412 के उत्तर में सदन को आश्वासन दिया था लेकिन खेद है कि सदन में आश्वासन देने के

[श्री राम बिल.स पासवान]

बाद भी श्रीर हम लोगों द्वारा मंत्री महोदय को व्यक्तिगत पत्र लिखने के बावजूद भी अभी तक ठेकेदारी प्रथा को समाप्त नहीं हुई है। एक-दो-तीन-चार के हजारों मजदूर बिना नौ माह से बेकार बैठे हैं। उनके सामने जीवन मरण का प्रश्न है।

15 hrs.

सब से दुःखद स्थिति 20 अगस्त को जम्मू में बटी जब मजदूर भ्रमण पर बैठे थे और पुलिस की मौजूदगी में ठेकेदार के मुँहों में भू-हड़ताल पर बैठे मजदूरों के ऊपर धातक हमला कर दिया। पिस्तौल से बायल मजदूरों में तीन की स्थिति चिन्ताजनक है। अ.प्रचय है कि घटना घटने के थोड़ी देर पहले तक 77 मजदूरों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी तरह 3-5-78 को फरीदाबाद में बाह्य नियम के मजदूरों पर ठेकेदारों द्वारा गोली चलाई गई जिस में सम्मन नाम का एक मजदूर मारा गया। 21 जुलाई 78 को भी जम्मू में बाह्य नियम के मजदूरों पर गोली चलाई गई थी जिस में कई मजदूर बुरी तरह घायल हुए थे। इस सम्बन्ध में मजदूर यूनियन संबंधित मंत्री एवं प्रधान मंत्री को श्री तार द्वारा सूचना भी गई थी।।

विगत 20 अगस्त को घटना से केन्द्रीय अस्थाधार नियम घोषणा नहीं दिल्ली, फरीदाबाद, हरियाणा, अशोक नगर आदि जगहों के मजदूरों में काफी रोष है। ये मजदूर प्रायः अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के सदस्य हैं।

यदि सरकार ने मजदूरों के हित में तत्काल कोई ठोस कदम नहीं उठाया ठेकेदारी प्रथा समाप्त नहीं की और मजदूरों पर हमला करने व लों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की तो स्थिति विस्फोट हो सकती है।

(iv) REPORTED BRANCH OF RESIDENCE OF AN M.P. BY POLICE ON 28-8-1978

श्री कल्याण बिन (इंदौर): सभापति महोदय, मैं नियम 377 के अधीन वेध भर में चर्चित मंत्री के पुत्र की रपट पर संसद सदन के घर की तलाशी पर प्रधान मंत्री एवं गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

संसद सदन श्री राम नरम कुलवाहा के घर को पुलिस ने दिनांक 23 अगस्त 78 को अध्यक्ष की अगुआई में अनुमति के घर लिया व उनके घर की तलाशी ली। संसद सदन श्री राम नरम कुलवाहा के दर की तलाशी वगैर अध्यक्ष की अनुमति के लेना हमारे मन को अच्युत कर रहा है व हम घटना से संसद सदन अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

समाचार पत्रों की खबरों से यह मान्य हुआ कि संसद सदन के घर की तलाशी किसी फौजदारी अपराध की तहकीकात के तहत की गई थी। गत कई सप्ताह से हिन्दुस्तान के अखबारों में इन प्रकरण व घटना सम्बन्धी समाचार छप रहे हैं।

यह भी समाचारों से ज्ञात हुआ है कि पुलिस द्वारा संसद सदन के घर की तलाशी एक मंत्री के लड़के की रपट पर की गई है (अवधान)

सभापति महोदय : यह रिकार्ड में नहीं जाएगा। जो आप ने लिख कर दिया है उसके अलावा आपकी कोई बात रिकार्ड पर नहीं जाएगी।

श्री कल्याण बिन संसद सदन के घर से कुछ नहीं मिला ऐसे भी समाचार हैं।

SHRI D. N. TIWARY (Gopalganj):
Mr. Chairman, Sir, this matter was referred on the floor of this House by

****Not recorded.